



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225042
CG-DL-E-10022021-225042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 545]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

का.आ. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ४११३(अ) तारीख १३ नवम्बर, २०२०, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५५२जी के कि.मी. 81.3 से कि.मी. 90.4 (उज्जैन-झालावाड़) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०२ नवम्बर २०२०" को "राज एक्सप्रेस" और "फ्रीप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५५२जी के कि.मी. 81.3 से कि.मी. 90.4 (उज्जैन-झालावाड़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: उज्जैन			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: महिदपुर				
	गांव का नाम: पिपल्याहरजी				
1	13	सरकारी	असिंचित	0.05	शासकीय (नाला म.प्र. शासन) (१३)
2	156	सरकारी	असिंचित	0.07	शासकीय (रेलवे) (१५६)
3	157	सरकारी	असिंचित	0.25	शासकीय (सड़क म.प्र. शासन) (१५७)
4	158	सरकारी	असिंचित	0.02	शासकीय (रास्ता म.प्र. शासन) (१५८)
5	159	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय (चारागाह म.प्र. शासन) (१५९)
6	17	सरकारी	असिंचित	0.08	शासकीय (सड़क म.प्र. शासन) (१७)
7	18	सरकारी	असिंचित	0.14	शासकीय (रेलवे) (१८)
8	19	सरकारी	असिंचित	0.03	शासकीय (रेलवे) (१९)
			कुल	0.65	

[फा. सं. PIU/IND/U-J/LA/3a/2018/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

S.O. 597(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 4113(E) dated 13th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-552G on the stretch of land from Km. 81.3 to Km. 90.4 (Ujjain-Jhalawar) in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Raj Express” and “Free Press” both dated 02nd December, 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-552G in the stretch of land from Km. 81.3 to Km. 90.4 (Ujjain-Jhalawar) in the district of UJJAIN in the State of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: UJJAIN		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mahidpur				
	Village: Pipalya Harji				
1	13	Government	Non-Irrigated	0.05	Government (Nalla M.P. Government) 13
2	156	Government	Non-Irrigated	0.07	Government (Railway) 156
3	157	Government	Non-Irrigated	0.25	Government (Road M.P. Government) 157
4	158	Government	Non-Irrigated	0.02	Government (Road M.P. Government) 158
5	159	Government	Non-Irrigated	0.01	Government (Charagah M.P. Government) 159
6	17	Government	Non-Irrigated	0.08	Government (Road M.P. Government) 17

7	18	Government	Non-Irrigated	0.14	Government (Railway) 18
8	19	Government	Non-Irrigated	0.03	Government (Railway) 19
			TOTAL	0.65	

[F. No. PIU/IND/U-J/LA/3a/2018/3D]

RAJESH GUPTA, Director